

05.210  
0166

05.210

05.210

43  
43

## न्यायालय उपजिलाधिकारी कासगंज (कासगंज)

वाद सं ५५

धारा-143 जे ड० ए०

मौजा-कुमरौआ

परगना-पचलाना

रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ।

वनाम गाँव सभा।

उस वाद रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ द्वारा इस न्यायालय में दिनोंक 17.10.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि भूमि गाटा सं 1347/1/1.006 है० का भूराजस्व रूपया 24.60 स्थित मौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज का सक्रमणीय भूमिधर मालिक काबिज़ है॑ भूमि गाटा सं 1347/1/1.006 है० का भूराजस्व रूपया 24.60 मौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज को अकृषिक घोषित किये जाने की माँग की गयी है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार कासगंज से जाँच कराई। उसने अपनी जाँच आख्या के निर्धारित प्रारूप 143 (नियम 135) में अंकित किया है कि ग्राम कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज के गाटा सं 1347/1/1.006 है० में रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के नाम वर्तार सक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है जिसका मौके पर नक्शा नंजरी तैयार किया गया जिसमें विद्यालय के भवन का कार्य चल रहा है खेती नहीं हो रही है अकृषिक प्रयोजन के रूप में प्रयोग में लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

### नेफल आदेश

उपरोक्त तहसीलदार कासगंज की आख्या दिनांक 05.11.2014 प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के आधार पर दिया गया प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ में स्थित ग्राम कुमरौआ में स्थित गाटा सख्या 1347/1/1.006 है० को धारा 143 जे ड० ए० के अन्तर्गत घोषित अकृषित घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है। वाद आ०का०पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक-11.11.2014

क्रमांक. ५८. ....  
पात्रा. महारी मजरा. २८४३५४६७....

गुलक. १. ....  
शास्त्र. कौ. वंश्या. २५....

काल. नं. १३. दे०-१६

काल. नं. १४. दे०-१६

काल. नं. १४. दे०-१६

काल. नं. १४. दे०-१६

प्रश्नकार. १४३२८ अ०

### सत्य प्रक्रियालिपि

अधिकारी सोनपाल  
कलमडेट, काशीराम तस्वीर  
कासगंज

(रामदास)  
उपजिलाधिकारी  
कासगंज

अध्यक्ष/मुख्य द्रस्टी  
मौजा फाउण्डेशन द्रस्ट  
ग्रामा. महारी प्लॉ कुमरौआ (कासगंज)

रामदास  
हस्ताक्षर संलग्न कर्ता

मा. न०-२८१८

०५२१८  
०५८६

०५२१८

०५४४४

५३३

## न्यायालय उपजिलाधिकारी कासगंज (कासगंज)

बाद सं ५५

मौजा—कुमरौआ

रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ।

वनाम गौव सभा।

उन्न बाद रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ द्वारा इस न्यायालय मे दिनांक 17.10.2014 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि भूमि गाटा सं 1347/1/1.006 है० का भूराजस्व रूपया 24.60 रिथत मौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज नौजा कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज को अकृषित घोषित किये जाने की माँग की गयी है।

इस सम्बन्ध मे तहसीलदार कासगंज से जॉच कराई। उसने अपनी जॉच आख्या के निर्धारित प्रारूप 143 (नियम 135) मे अंकित किया है कि ग्राम कुमरौआ परगना पचलाना तहसील कासगंज के गाटा कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के नाम बतौर सक्रमणीय भूमिधर मालिक कागजात है० जिसका मौके पर नक्शां नंजरी तैयार किया गया जिसमे विद्यालय के भवन का कार्य चल रहा है खेती नहीं हो रही है अकृषित प्रयोजन के रूप मे प्रयोग मे लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषित घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

### भैकल आदेश

उपरोक्त तहसीलदार कासगंज की आख्या दिनांक 05.11.2014 प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ के आधार पर दिया गया प्रार्थना पत्र रामश्री देवी महाविद्यालय न० महारी मजरा कुमरौआ प्रवधक मानेन्द्र कुमार पुत्र श्री सोनपाल सिंह नि० निधौली तह० अतरौली हाल नि० न० महारी मज० कुमरौआ मे रिथत ग्राम कुमरौआ मे रिथत गाटा सख्या 1347/1/1.006 है० को धारा 143 ज०वि०अधि० के अन्तर्गत घोषित अकृषित घोषित किये जाने की सर्तुति की जाती है। बाद आ०का०पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक—11.11.2014

(रामदास)

उपजिलाधिकारी  
कासगंज

अध्यक्ष/मुख्य दस्ती  
मौजा फाउण्डेशन दस्त  
नगला महारी प्र० कुमरौआ (कासगंज)

### सत्य प्रकाशिति

अधिकारी दस्तावेज़  
कलापद्धति, कांशीराम तमाल  
कासगंज

कासगंज  
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा  
उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा